उत्तराखण्ड विधान सभा

उत्तराखण्ड विधान सभा
की कार्यसूची

शुक्रवार, 17 फाल्गुन, शक संवत्, 1929

(दिनांक : 07 मार्च, 2008)

समय : 11 : 00 बजे पूर्वाह्न

1. प्रश्न (देखिए नत्थी [(क) तथा (ख)।]

2. निधन के निदेश।

3. मुख्यमंत्री, संविधान के अनुच्छेद-151 के खण्ड (2) के अधीन भारत के नियन्त्रक-महालेखापरीक्षक, भारत सरकार से प्राप्त 31 मार्च, 2007 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के लिए उत्तराखण्ड सरकार का प्रतिवेदन सदन के पटल पर रखेंगे।

4. सदस्यों की गिरफ्तारी, निरोध व रिहाई की सूचनायें, यदि कोई हों।

5. श्री सुरेन्द्र राकेश, सदस्य, विधान सभा, "जनपद हरिद्वार के अन्तर्गत भगवानपुर विधान सभा क्षेत्र में बंजारेवाला-खेड़ी शिकोपुर-सिकरोढ़ा-फिरोजपुर उर्फ बुग्गावाला तक सड़क निर्माण के संबंध में" श्री स्वराज सिंह पुत्र श्री हुकम सिंह एवं अन्य निवासीगण, बंजारेवाला, जनपद हरिद्वार द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करेंगे।

6. श्री सुरेन्द्र राकेश, सदस्य, विधान सभा, "जनपद हरिद्वार के अन्तर्गत भगवानपुर विधान सभा क्षेत्र में मैडिकल कालेज की स्थापना के संबंध में" श्री सुबोध कुमार पुत्र श्री कली राम एवं अन्य निवासीगण, भगवानपुर, जनपद हरिद्वार द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करेंगे।

7. श्री प्रेमानन्द महाजन, सदस्य, विधान सभा, "जनपद ऊधम सिंह नगर के विकास खण्ड गदरपुर के ग्राम राधाकान्तपुर में स्थित पूर्व माध्यमिक विद्यालय का हाईस्कूल स्तर पर उच्चीकरण करने के संबंध में" श्री नित्यानन्द मण्डल पुत्र स्व0 श्री सुधीर मण्डल एवं अन्य निवासीगण, ग्राम- मोतीपुर, न0-1, पोस्ट-दिनेशपुर, जनपद ऊधम सिंह नगर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करेंगे।

8. श्री बलवीर सिंह नेगी, सदस्य, विधान सभा, ''जनपद देहरादून के लोक निर्माण विभाग ऋषिकेश के अन्तर्गत जोगीवाला मुख्य चौक से काली माता-नवादा बद्रीपुर रोड़ के चौड़ीकरण/डामरीकरण के संबंध में'' श्री सुभाष चन्द्र भट्ट एवं अन्य निवासीगण, बद्रीपुर पो0 जनपद- देहरादून द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करेंगे।

9. विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न, यदि कोई हों।

10. नियम 315 के खण्ड (13) व (14) के अन्तर्गत माननीय अध्यक्ष द्वारा घोषणायें, यदि कोई हों।

11. मंत्रियों द्वारा विविध वक्तव्य, यदि कोई हों।

12. कार्यस्थगन का प्रस्ताव, यदि कोई हो।

13. श्री मुन्ना सिंह चौहान द्वारा प्रस्तुत निम्नलिखित प्रस्ताव पर चर्चा एवं पारण :-

''यह सदन श्री राज्यपाल को उनके द्वारा दिनांक 03 मार्च, 2008 को दिए गये अभिभाषण के लिए कृतज्ञतापूर्वक धन्यवाद प्रकट करता है''

श्री बलवन्त सिंह भौर्याल उक्त प्रस्ताव का समर्थन करेंगे।

(प्रस्ताव में संशोधनों के लिए देखिए नत्थी **''ग''**)

14. नियम 53 के अन्तर्गत सूचनाएं, यदि कोई हों।

आज्ञा से,

देहरादून :
दिनांक : 07 मार्च, 2008

(महेश चन्द्र)
सचिव।

उत्तराखण्ड विधान सभा
की कार्यसूची

शुक्रवार, 17 फाल्गुन, शक संवत्, 1929

(दिनांक : 07 मार्च, 2008)

नत्थी "क"

उत्तराखण्ड विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली, 2005 के नियम 40 (2) के अन्तर्गत स्थगित तारांकित प्रश्न

कुँवर प्रणव सिंह 'चैम्पियन' 12–11–2007 — खेल

*1. क्या खेल मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि 'खेल नीति' तैयार हो जाने के पश्चात् अभी तक लागू न किये जाने के क्या कारण हैं? क्या यह सत्य है कि सरकार की निष्क्रियता के कारण अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को यथोचित सम्मान, आर्थिक पारितोषिक एवं नौकरियों में आरक्षण नहीं दिया जा रहा है? यदि हाँ, तो क्या सरकार जनहित में खेल नीति को अतिशीघ्र लागू कर खिलाड़ियों को सम्मान देने जा रही है? यदि हाँ, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

नत्थी "ख"

तारांकित प्रश्न

श्री सुरेन्द्र राकेश 17–01–2008	*1. क्या शिक्षा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि विद्यालयी शिक्षा विभाग में समूह 'ख' एवं 'क' के कुल कितने पद सृजित है एवं इन पदों के सापेक्ष अनुसूचित जाति के लिये आरक्षित कितने पदों को भरा गया है एवं कितने पद रिक्त हैं? क्या मंत्री जी यह भी बताने का कष्ट करेंगे कि उत्तराखण्ड सरकार के वर्तमान आरक्षण नियमों/शासनादेशों का पालन विभाग द्वारा ऐसे रिक्त पदों को न भरे जाने का क्या कारण एवं औचित्य है? शासनोदश के अनुरूप पदों को न भरे जाने के लिये कौन दोषी है? क्या उनके विरूद्ध कार्यवाही की गयी है? यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं? क्या ऐसे आरक्षित पदों को रोस्टर की व्यवस्था अनुसार भरने की कार्यवाही गतिमान है? यदि हाँ, तो इनको पूर्ण रूप से कब तक भर लिया जायेगा? यदि नहीं, तो क्यों?	शिक्षा
श्री सुरेन्द्र राकेश 23–01–2008	*2. क्या श्रम मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद हरिद्वार में स्थापित औद्योगिक इकाईयों द्वारा फैक्ट्री कानून एवं न्यूनतम वेतन भुगतान नियम का पालन सुनिश्चित किया जा रहा है? यदि नहीं तो सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गयी है?	श्रम
श्री मनोज तिवारी 23–01–2008	*3. क्या शिक्षा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा विभाग के संगठनात्मक स्वरूप के निर्धारण में बेसिक शिक्षा परिषदीय शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के राजकीयकरण के उपरान्त इनके समायोजन एवं पुरानी सेवाओं की वरीयता दिये जाने हेतु नियमावली, जिसके प्रख्यापन की कार्यवाही विचाराधीन है में प्राविधान किया गया है यदि नहीं तो क्यों? क्या इन कर्मचारियों को राजकीय सम्वर्ग में विलय किए जाने पर 30 प्रतिशत पदोन्नति का आरक्षण दिए जाने की व्यवस्था नियमावली में है? यदि नहीं, तो क्यों?	शिक्षा
श्री प्रीतम सिंह 31–01–2008	*4. क्या शिक्षा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि राज्य में अनुसूचित जाति /जनजाति के हाई स्कूल व इण्टर में पढ़ने वाले छात्रों से शिक्षण शुल्क लिया जा रहा है? यदि हाँ तो क्यों? क्या सरकार द्वारा उक्त के सम्बन्ध में कोई कार्यवाही की गई है? यदि हाँ तो क्या? यदि नहीं तो क्यों?	शिक्षा

सुश्री कैरन मेयर हिल्टन
31–01–2008

*5. क्या शिक्षा मंत्री अवगत हैं कि प्रदेश के प्राथमिक विद्यालयों में (1 से 8 तक के कक्षाओं) स्कूली बस्ते का बोझ अधिक होता है? यदि हाँ तो क्या सरकार बस्तों के बोझ को सीमित करने पर विचार करेगी? यदि हाँ तो किस प्रकार तथा कब तक? यदि नहीं तो क्यों?

शिक्षा

श्री ओम गोपाल
01–02–2008

*6. क्या शिक्षा मंत्री अवगत हैं कि नरेन्द्रनगर विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत ग्राम सभा आगर के हाईस्कूल में अध्यापकों द्वारा समय–2 पर स्कूल न आने, विद्यालय समय से पूर्व स्कूल से चले जाने तथा अध्यापन कार्य में रूचि न लेने के कारण हाईस्कूल का वार्षिक रिज़ल्ट शून्य रहा? क्या यह सत्य है कि अध्यापकों को उक्त व्यवहार के कारण क्षेत्रीय जनता ने अनिश्चितकालीन आन्दोलन कर स्कूल में ताला डाल दिया तथा रा0पू0मा0वि0 आगर में नियुक्त सभी शिक्षकों को (प्रधानाचार्य को छोड़कर) तत्काल स्थानान्तरित करने की माँग रखी गयी थी? क्या मंत्री जी के संज्ञान में है कि मेरे द्वारा मा0 शिक्षा मंत्री जी से वार्ता के क्रम में मा0 शिक्षा मंत्री जी ने आश्वासन दिया कि नीति बनने के बाद सभी अध्यापकों का अन्यत्र स्थानांतरण कर दिया जायेगा? यदि हाँ, तो क्या मंत्री जी छात्रों के भविष्य को मध्य नज़र रखते हुए अविलम्ब दिये गये आश्वासन के अनुरूप प्रधानाचार्य को छोड़कर सभी अध्यापकों का स्थानांतरण अन्यत्र किया जाना सुनिश्चित करेंगे? यदि हाँ, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

शिक्षा

श्री मयूख महर
01–02–2008

*7. क्या शिक्षा मंत्री अवगत हैं कि राष्ट्रीय शैक्षिक नियोजन एवं प्रबन्धन संस्थान (नीपा) द्वारा प्रदेश की शैक्षिक व्यवस्था का व्यापक सर्वेक्षण कर एक रिपोर्ट तैयार की गयी है? क्या यह सत्य है कि उक्त रिपोर्ट के अनुसार प्रदेश के 35 प्रतिशत शिक्षक स्कूल नहीं जा रहे हैं? यदि हाँ तो सरकार उक्त अव्यवस्था को दुरूस्त करने हेतु क्या प्रयास कर रही है? यदि नहीं तो क्यों?

शिक्षा

श्री मयूख महर
01–02–2008

*8. क्या शिक्षा मंत्री अवगत हैं कि सहायक अध्यापक विषय सामान्य (एल0टी0ग्रेड) के लिये चयन हेतु श्रेष्ठता (मैरिट) सूची में क्रमांक 78 एवं 79 में एक ही अभ्यर्थी/व्यक्ति का चयन दो बार हुआ है? यदि हाँ तो इसके क्या कारण हैं? क्या सरकार इस त्रुटि का परिमार्जन करते हुए श्रेष्ठताक्रम में प्रतीक्षारत एक अन्य अभ्यर्थी को नियुक्ति प्रदान करेगी? यदि नहीं तो क्यों?

शिक्षा

श्री ओम गोपाल
05–02–2008

*9. क्या शिक्षा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि एल0टी0 चयन प्रक्रिया में विज्ञापित रिक्त पदों को भरने के पश्चात् भी हज़ारों पद रिक्त रह जायेंगे? यदि हाँ, तो क्या सरकार वर्तमान चयन प्रक्रिया में 25% पदों की बढ़ोत्तरी कर सरकार पुनः एल0टी0 में चयन की कार्यवाही करेगी? यदि हाँ, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

शिक्षा

श्री प्रेमानन्द महाजन 05–02–2008	***10.** क्या शिक्षा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि साक्षरता कार्यक्रम संचालन हेतु विभाग द्वारा कोई ढांचा तैयार किया गया है? यदि नहीं, तो क्यों? वर्तमान में सतत् शिक्षा केन्द्र का संचालन किस प्रकार से संचालित किया जा रहा है? यदि नहीं, तो क्यों?	**शिक्षा**
श्री ओम गोपाल 06–02–2008	***11.** क्या शिक्षा मंत्री के संज्ञान में है कि सरकार द्वारा विशिष्ट बी0टी0सी0 प्रशिक्षण हेतु निर्गत विज्ञप्ति में स्पष्ट उल्लेख किया गया था कि यदि किसी जनपद में विशिष्ट बी0टी0सी0 की सीटें रिक्त रह जाएं तो उन सीटों को राज्य शैक्षिक अनुसंधान नरेन्द्रनगर को भेजा जायेगा तथा उन सीटों के सापेक्ष अर्न्तजनपदीय काउंसलिंग करवायी जाएगी? क्या यह सत्य है कि तीन माह बीतने के बाद अभी तक अर्न्तजनपदीय काउंसलिंग शुरू नहीं करवायी गयी है? क्या सरकार अर्न्तजनपदीय काउंसलिंग यथाशीघ्र प्रारम्भ करवायेगी? यदि हाँ, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?	**शिक्षा**
श्री मयूख महर 06–02–2008 श्री पुष्पेश त्रिपाठी 08–02–2008 श्री गणेश जोशी 14–02–2008 श्री केदार सिंह रावत 03–03–2008	***12.** क्या शिक्षा मंत्री अवगत हैं कि प्रदेश के एन0टी0टी0 प्रशिक्षित महिला अभ्यर्थी गत कई माह से सचिवालय/विधान सभा के समक्ष अपनी प्राथमिक विद्यालयों में नियुक्ति हेतु आन्दोलनरत हैं? क्या एन0टी0टी0 प्रशिक्षण कार्यक्रम (सी0टी0नर्सरी) बी0टी0सी0 सामान्य के समकक्ष एवं प्रदेश सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त है? क्या मंत्री जी बताने का कष्ट करेंगे कि पूर्व में एन0टी0टी0 (सी0टी0नर्सरी) प्रशिक्षित अभ्यर्थियों को प्राथमिक विद्यालयों में नियुक्ति दी गयी है? यदि हाँ तो क्या सरकार एन0टी0टी0 प्रशिक्षितों को प्राथमिक विद्यालयों में नियुक्ति देने पर विचार कर रही है? यदि हाँ तो कब तक? यदि नहीं तो क्यों?	**शिक्षा**

अतारांकित प्रश्न

श्री सुरेन्द्र राकेश 21–01–2008 श्री हरिदास 05–02–08	**1.** क्या गन्ना मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद हरिद्वार में इकबालपुर गन्ना विकास परिषद चुनाव कब हुआ था? क्या इकबालपुर गन्ना विकास परिषद का कार्य काल समाप्त हो चुका है? यदि हाँ, तो सरकार गन्ना विकास परिषद का पुनः चुनाव कब तक करायेगी? यदि नहीं, तो क्यों?	गन्ना विकास
श्री हरिदास 21–01–2008	**2.** क्या शिक्षा मंत्री अवगत हैं कि जनपद हरिद्वार में लण्ढौरा विधान सभा क्षेत्र के ग्राम हरजौली जट में निर्माणाधीन कस्तूरबा गाँधी बालिका आवासीय विद्यालय के निर्माण में गत वर्ष 20 लाख रूपये ख़र्च हुए हैं? क्या यह सत्य है कि वर्तमान में उक्त विद्यालय राजकीय इण्टर कालेज रूड़की में अस्थायी रूप से संचालित है? क्या शिक्षा मंत्री जी यह भी बताने का कष्ट करेंगे कि उक्त विद्यालय का निर्माण कार्य पूर्ण कब तक कर दिया जायेगा?	शिक्षा

श्रीमती अमृता रावत 22–01–2008	**3.** क्या शिक्षा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि प्रदेश के विद्यालयी शिक्षा विभाग में हाई स्कूल के प्रधानाध्यापक से लेकर निदेशक विद्यालय शिक्षा तक के लगभग सभी पदों पर अधिकारी कार्यवाहक के रूप में कार्य कर रहे हैं? क्या सरकार बतायेगी कि ऐसे कौन–कौन से पद हैं जिन पदों पर अधिकारी कार्यवाहक के रूप में कार्यरत हैं? क्या यह सत्य है कि उक्त विभिन्न पदों पर कार्यवाहक रूप में कार्यरत अधिकारियों को उन पदों का स्वीकृत वेतनमान नहीं दिया जा रहा है? यदि हाँ तो सरकार कब तक स्वीकृत वेतनमान मुहैया करायेगी तथा कब तक इन कार्यवाहक अधिकारियों की पदोन्नति किए जाने के सम्बन्ध में डी0पी0सी0 आयोजित करेगी?	**शिक्षा**
श्रीमती अमृता रावत 23–01–2008	**4.** क्या शिक्षा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद पौड़ी गढ़वाल के राजकीय इण्टरमीडिएट कालेज बहेड़ाखाल की अभिभावक अध्यापक एसोसिएशन की दिनांक 15 सितम्बर 2007 की बैठक का कार्यवृत एसोसिएशन के पत्रांक बहेड़ाखाल / 2–बैठक / 2007–08 दिनांक 30 सितम्बर 2007 के द्वारा जिला शिक्षा अधिकारी, पौड़ी को कब प्राप्त हुआ है और कार्यवृत में वर्णित प्रस्तावों पर अब तक की गई कार्यवाही एवं हुई प्रगति का प्रस्ताववार विवरण क्या है?	**शिक्षा**
श्रीमती अमृता रावत 23–01–2008	**5.** क्या शिक्षा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद पौड़ी गढ़वाल के राजकीय इण्टरमीडिएट कालेजों में प्रधानाचार्य, प्रवक्ता एवं सहायक अध्यापकों के रिक्त पदों का विद्यालयवार विवरण क्या है तथा उक्त कालेजों में ये रिक्तियाँ कब से हैं? क्या मंत्री जी यह भी बताने का कष्ट करेंगे कि इन रिक्तियों के कारण प्रभावित हो रही शिक्षण व्यवस्था के प्रति कौन उत्तरदायी है तथा कब तक इन रिक्त पदों पर नियुक्ति / तैनाती कर दी जायेगी?	**शिक्षा**
कुँवर प्रणव सिंह 'चैम्पियन' 23–01–2008	**6.** क्या शिक्षा मंत्री अवगत हैं कि शासन द्वारा मान्यता प्राप्त तथा राजकीय सहायता प्राप्त विद्यालयों में व्यायाम शिक्षक के पद पर नियुक्ति का आदेश शासन द्वारा प्रदान न किये जाने के क्या कारण हैं? क्या शासन जनहित में उक्त श्रेणी के विद्यालयों में व्यायाम शिक्षकों की नियुक्ति हेतु पद सृजित करने की कार्यवाही करेगी? यदि हाँ तो कब तक? यदि नहीं तो क्यों?	**शिक्षा**
श्री मनोज तिवारी 23–01–2008	**7.** क्या शिक्षा मंत्री अवगत हैं कि शासनादेश संख्या 6180 / 15–5–196 / 86 दिनांक 07 अगस्त, 1986 द्वारा प्रत्येक जनपद में वित्त एवं लेखाधिकारी बेसिक शिक्षा कार्यालय की स्थापना की गयी थी जिसमें 50% कर्मचारी बेसिक शिक्षा परिषदीय शिक्षणेत्तर कर्मचारियों में से समायोजित किए गये थे? क्या वर्तमान में बेसिक शिक्षा परिषद को समाप्त कर राजकीयकरण किए जाने से शेष कार्यरत परिषदीय शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को भी वित्त एवं लेखाधिकारी कार्यालय में समायोजित किए जाने की योजना शासन के विचाराधीन है यदि हाँ तो कब तक? यदि नहीं तो क्यों?	**शिक्षा**

श्री राजेश जुवाँठा 29–01–2008	**8.**	क्या शिक्षा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि पुरोला विधान सभा क्षेत्र के विकास खण्ड मोरी के जूनियर हाईस्कूल फिताड़ी एवं डाढमीर (तालुका) एवं हाईस्कूल साँकरी एवं सरनौल विकास खण्ड नौगाँव के उच्चीकरण के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है तथा उक्त स्कूलों का उच्चीकरण कब तक कर दिया जायेगा?	**शिक्षा**
श्री सुरेन्द्र राकेश 31–01–2008	**9.**	क्या शिक्षा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि 12 अप्रैल 2005 को राज्य पुस्तकालय अधिनियम पारित किया गया है? यदि हाँ, तो क्या इस अधिनियम को लागू कर दिया गया है? यदि नहीं तो इस अधिनियम को कब तक लागू कर दिया जायेगा?	**शिक्षा**
श्री प्रीतम सिंह 31–01–2008	**10.**	क्या शिक्षा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि प्रदेश के कितने राजकीय इण्टर कालेजों में एन.सी.सी. की शिक्षा दी जा रही है? यदि नहीं तो क्यों?	**शिक्षा**
श्री खजानदास 01–02–2008	**11.**	क्या शिक्षा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद टिहरी गढ़वाल के धनौल्टी विधान सभा के अन्तर्गत कुल कितने प्राथमिक विद्यालय हैं तथा कितने प्राथमिक विद्यालय शिक्षा मित्रों के कारण चल रहे हैं? क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि कितने प्राथमिक विद्यालयों में अध्यापक तैनात नहीं हैं? सरकार कब तक उक्त विद्यालयों में अध्यापकों की नियुक्ति करेगी? यदि नहीं तो क्यों नहीं?	**शिक्षा**
श्री गोपाल सिंह रावत 04–02–2008	**12.**	क्या आबकारी मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि उत्तराखण्ड में आबकारी अधिनियम की धारा 60 के अधीन कम से कम रू0 5000.00 जुर्माने की व्यवस्था की गई है? क्या यह सत्य है कि पूर्ववर्ती राज्य उत्तर प्रदेश में अधिकतम रू0 500.00 जुर्माने की व्यवस्था है? क्या सरकार जनहित में पुनर्विचार व समीक्षा कर समान व्यवस्था/नीति निर्धारित करेगी? यदि हाँ, तो कब तक? यदि नहीं तो क्यों?	**आबकारी**
श्री पुष्पेश त्रिपाठी 04–02–2008	**13.**	क्या प्रशिक्षण एवं सेवायोजन मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद अल्मोड़ा के अन्तर्गत बिन्ता में आई0टी0आई0 खोलने की स्वीकृति शासन द्वारा प्रदान की जा चुकी है? यदि हाँ, तो कब तथा प्रशिक्षण संस्थान के संचालन हेतु जमीन की व्यवस्था हेतु अद्यतन स्थिति क्या है? क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि उक्त प्रशिक्षण संस्थान में शिक्षा सत्र प्रारम्भ कर दिया गया है? यदि नहीं तो क्यों?	**प्रशिक्षण एवं सेवायोजन**
श्री पुष्पेश त्रिपाठी 04–02–2008	**14.**	क्या शिक्षा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद अल्मोड़ा के द्वाराहाट विकास खण्ड अन्तर्गत जूनियर–हाईस्कूल–मुसनौला, फल्द्वाड़ी की स्थापना कब हुई? क्या सरकार उक्त जूनियर हाईस्कूल का उच्चीकरण करने पर विचार कर रही है? यदि हाँ, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?	**शिक्षा**

श्री ओम गोपाल 04–02–2008	15.	क्या प्रशिक्षण एवं सेवायोजन मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि नरेन्द्रनगर विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत स्थित पंचतारा एवं अन्य बड़े होटलों में स्थानीय बेरोजगारों को 70% रोजगार दिया जा रहा है? यदि हाँ, तो किन–किन होटलों में? क्या सरकार 70% स्थानीय बेरोजगारों को अपने होटलों में रोजगार न देने वाले होटलों के विरूद्ध कोई कार्यवाही करेगी? यदि हाँ, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?	**तृतीय मंगल के अता0 4 में स्था0**
श्री प्रेमानन्द महाजन 05–02–2008	16.	क्या शिक्षा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि अवशिष्ट साक्षरता कार्यक्रम कर चुके स्वयं सेवी शिक्षकों को बी0एड0 एवं बी0टी0सी0 के चयन में वरीयता दी जायेगी? यदि नहीं, तो क्यों?	**शिक्षा**
श्री मनोज तिवारी 05–02–2008	17.	क्या खेल मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि अल्मोड़ा विधान सभा में स्व0 हेमवती नन्दन बहुगुणा स्पोर्टस स्टेडियम विस्तार की कोई योजना विचाराधीन है? यदि नहीं तो क्यों?	**खेल**
श्री पुष्पेश त्रिपाठी 05–02–2008	18.	क्या शिक्षा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद अल्मोड़ा के द्वाराहाट विकास खण्ड के अन्तर्गत जनता पूर्व माध्यमिक विद्यालय–भामा कनलगांव का उच्चीकरण एवं प्रान्तीकरण किया जा चुका है? यदि हाँ, तो कब? यदि नहीं, तो क्यों?	**शिक्षा**
श्री पुष्पेश त्रिपाठी 05–02–2008	19.	क्या शिक्षा मंत्री अवगत हैं कि जनपद अल्मोड़ा के विकास खण्ड चौखुटिया अन्तर्गत रा0 हाईस्कूल–खजुरानी हेतु भवन निर्माण प्रधानाचार्य एवं शिक्षकों की नियुक्ति की मांग क्षेत्रीय जन प्रतिनिधियों द्वारा बार–बार की जा रही है? यदि हाँ, तो इस पर क्या कार्यवाही हुई है? यदि नहीं, तो क्यों?	**शिक्षा**
श्री पुष्पेश त्रिपाठी 05–02–2008	20.	क्या शिक्षा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद अल्मोड़ा में द्वाराहाट विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत रा0इ0 कालेज–महाकालेश्वर में इण्टरमीडिएट स्तर पर संस्कृत विषय सम्मिलित करने हेतु कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है? यदि हाँ तो अब तक उक्त प्रस्ताव पर क्या कार्यवाही की गयी है? यदि नहीं तो क्या सरकार संस्कृत विषय को पाठ्यक्रम में सम्मिलित करने पर विचार करेगी?	**शिक्षा**
श्री ओम गोपाल 06–02–2008	21.	क्या शिक्षा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि गंभीर रोग/विकलांगता के आधार पर ग्रामीण क्षेत्रों के प्राथमिक विद्यालयों से नगर क्षेत्र के प्राथमिक विद्यालयों में पद स्थापित सहायक अध्यापकों के स्थानांतरण एवं पदोन्नति के सम्बन्ध में शासन द्वारा क्या नीति अपनायी गयी है?	**शिक्षा**

श्रीमती अमृता रावत 06–02–2008	**22.** क्या शिक्षा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद पौड़ी गढ़वाल के राजकीय इण्टर कालेज बहेड़ाखाल के तत्कालीन प्रधानाचार्य/प्रधानाध्यापक से अवशेष किराए के भुगतान के सम्बन्ध में निदेशक विद्यालय शिक्षा उत्तराखण्ड को सम्बोधित विद्यालय की अभिभावक–अध्यापक एसोसिएशन का पत्रांक बहेड़ाखाल/26–एसोसिएशन/2007–08 दिनांक 20 मई 2007 कब प्राप्त हुआ है और इस पत्र में वर्णित तथ्यों तथा संदर्भित पत्रों पर अब तक की गई कार्यवाही और उसके परिणामों का विवरण क्या है?	**शिक्षा**
श्रीमती अमृता रावत 06–02–2008	**23.** क्या युवा कल्याण मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि यह सत्य है कि जनपद पौड़ी गढ़वाल के विकास खण्ड कोट के स्थान बहेड़ाखाल में मिनी स्टेडियम एवं व्यायामशाला निर्माण हेतु जिला युवा कल्याण अधिकारी पौड़ी गढ़वाल के पत्रांक 297/16प्रा0वि0–90/98 दिनांक 13 अक्टूबर 1998 के अनुपालन में दिनांक 06 जनवरी 1999 को 1.246 हे0 भूमि की रजिस्ट्री विभाग के नाम की गई है? यदि हाँ तो जनपद पौड़ी गढ़वाल के विकास खण्ड कोट के बहेड़ाखाल क्षेत्र में आउटडोर स्टेडियम/मिनी स्टेडियम एवं व्यायामशाला निर्माण हेतु अब तक की गई कार्यवाही एवं हुई प्रगति का विवरण क्या है तथा कब तक प्रस्तावित आउटडोर स्टेडियम/मिली स्टेडियम निर्माण करवाए जाने की सम्भावना है?	**युवा कल्याण**
श्रीमती आशा नौटियाल 07–02–2008	**24.** क्या शिक्षा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद रूद्रप्रयाग के जनता इण्टर कालेज देवनगर (बड़ेथ) रूद्रप्रयाग, जनता हाईस्कूल द्वारीधार (दसज्यूला काण्डई) रूद्रप्रयाग, वीर चन्द्र सिंह गढ़वाली जनता जू0हा0 मैखण्डा, रूद्रप्रयाग विद्यालयों को अनुदान सूची में सम्मिलित करने पर विचार हो रहा है? यदि हाँ तो कब तक ये विद्यालय अनुदान सूची में सम्मिलित किये जायेंगे? यदि नहीं तो क्यों?	**शिक्षा**
श्री मनोज तिवारी 23–01–2008	**25.** क्या शिक्षा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि प्रदेश के अल्पसंख्यक सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षकों की नियुक्ति पर शासन द्वारा रोक लगाई गई है? यदि हाँ, तो क्या यह रोक संवैधानिक प्रक्रियाओं के अधीन है?	**शिक्षा**

उत्तराखण्ड विधान सभा

नत्थी "ग"

श्री राज्यपाल के अभिभाषण के लिए धन्यवाद प्रस्ताव में संशोधन।

क्र.सं.	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
1.	डा0 हरक सिंह रावत, नेता प्रतिपक्ष	प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाए:- "किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित का कोई उल्लेख नहीं किया है :- 1. राज्य में बेरोजगारी दूर करने के संबंध में, 2. पुलिस सुधार में अभी तक कोई कार्यवाही न किये जाने, उप निरीक्षक तथा उससे निम्न पदों पर कार्यरत कर्मचारियों की पदोन्नति के संबंध में, 3. शिक्षा विभाग में दूरस्थ क्षेत्रों में स्थित विद्यालयों में शिक्षकों की तैनाती के संबंध में, 4. शिक्षा विभाग में लिपिकीय एवं चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों की पदोन्नति के संबंध में, 5. प्रत्येक विधान सभाक्षेत्र में नई सड़कों का निर्माण पुरानी सड़कों के सुदृढ़ीकरण एवं डामरीकरण के संबंध में, 6. प्रदेश में उद्योगों की स्थापना के उद्देश्य से उद्योगपतियों को आकर्षित करने के लिए किसी योजना के संबंध में, 7. पर्वतीय क्षेत्रों में पेयजल की आपूर्ति के लिए पम्पिंग योजनाओं के निर्माण के संबंध में, 8.. पर्यटन के क्षेत्र में स्थानीय बेरोजगारों को रोजगार की अपार संभावनाओं को क्रियान्वित किये जाने के संबंध में,

25. प्रदेश के सभी ग्रामों को वर्ष–2008 तक विद्युतीकृत किये जाने के निर्धारित लक्ष्य की प्राप्ति हेतु सरकार द्वारा किये जा रहे प्रयास के संबंध में,

26. राज्य के पर्वतीय क्षेत्रों में राजस्व पुलिस के गठन के संबंध में,

27. राज्य में दैनिक वेतनभोगी तथा वर्कचार्ज कर्मचारियों के विनियमितीकरण के संबंध में,

28. विद्युत विभाग में होने वाले कार्यों के ठेके प्रदेश से बाहर के बड़े ठेकेदारों को दिये जाने तथा स्थानीय वेरोजगारों को सम्मिलित न किये जाने के संबंध में तथा

29. प्रदेश के किसानों एवं गरीब जनता के लिये प्राकृतिक आपदा बीमा योजना प्रारम्भ किये जाने के संबंध में।

2. काजी निजामुद्दीन

प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाए:-

"किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित का कोई उल्लेख नहीं किया है :-

1. जनपद हरिद्वार में ठंड व पाले के असर से हुए फसलों व फलदार वृक्षों के नुकसान को 'दैवीय आपदा' घोषित करने,

2. गन्ना मूल्य का ब्याज सहित तुरंत भुगतान किये जाने,

3. दलित व अनुसूचित जाति को दिये जाने वाले आसामी पट्टो का नवीनीकरण किये जाने,

4. पाले के कारण गन्ने के बीज नष्ट हो जाने के कारण गन्ना किसानों को निःशुल्क गन्ने का उच्च कोटि का बीज उपलब्ध कराये जाने,

5. पी0 एच0 सी0 व सी0 एच0 सी0 (अस्पतालों) में एंटी, रेबीज इन्जेक्शन उपलब्ध कराने,

6. अल्प संख्यकों को रोजगार परक शिक्षा दिये जाने,

7. अल्प संख्यक छात्रों की छात्रवृत्ति बढ़ाने व निः शुल्क पुस्तकें उपलब्ध कराने,

8. 60 वर्ष की आयु के समस्त वृद्धों एवं विधवाओं को पेंशन दिये जाने,

9. बी0 पी0 एल0 परिवारों को दिये गये 'कुटीर ज्योति' कनेक्शनों के बिल माफ किये जाने के संबंध में,

10. उत्तराखण्ड में घरेलू कनेक्शनों का सरचार्ज माफ किये जाने के संबंध में,

11. स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध कराने हेतु सभी स्वास्थ्य उपकेन्द्रों पर फार्मेसिस्ट की नियुक्ति किये जाने के संबंध में,

12. अनुदेशकों/आचार्यों को 'शिक्षा मित्र' का दर्जा किये जाने के संबंध में,

13. ट्रेजरी कर्मचारियों को हाईकोर्ट के आदेशों के अनुपालन में उत्तर प्रदेश की तरह समझौते अनुसार संशोधित वेतनमान दिये जाने के संबंध में,

14. वक्फ बोर्ड का गठन किये जाने के संबंध में,

15. मुस्लिम एजुकेशन मिशन को बढ़ावा दिये जाने एवं उर्दू अनुवादकों/उर्दू अध्यापकों की नियुक्ति किये जाने के संबंध में,

16. वनग्रामों (टोंगिया ग्रामों) को राजस्व ग्राम घोषित कर समस्त सुविधाऐं दिये जाने के संबंध में,

17. हरिद्वार जनपद के बुग्गावाला में राजकीय बालिका इण्टर कालेज की स्थापना किये जाने के संबंध में,

18. औद्योगिक क्षेत्र रायपुर, लक्सर, पुहाना, भगवानपुर का विकास सिडकुल की तरह सड़कों, बिजली, पानी की व्यवस्था किये जाने के संबंध में,

19. 70 प्रतिशत स्थानीय बेरोजगारों को प्रदेश में स्थापित की जाने वाली फैक्ट्रियों/उद्योगों में स्थाई रोजगार दिलवाये जाने के संबंध में,

20. औद्योगिक क्षेत्र में एस0सी0/एस0टी0 एवं ओ0बी0सी0/ सामान्य निर्धन व्यक्तियों को आरक्षण दिलवाने की व्यवस्था किये जाने के संबंध में,

21. महगाई रोकने के ठोस उपाये किये जाने के संबंध में,

37. एस0सी0पी0 योजना को प्रभावी ढ़ंग से लागू करने के लिये एक अलग से निदेशालय बनाये जाने के संबंध में,

38. अनुसूचित जाति के छात्रों के लिये प्रत्येक जिले में मैडिकल, इंजिनियरिंग, आई0ए0एस0, पी0सी0एस0 के लिये उच्च कोटी के कोचिंग सेण्टर खोले जाने के संबंध में तथा,

39. कलियर शरीफ मेले का आयोजन राज्य सरकार कुम्भ मेले के अनुसार बजट उपलब्ध कराकर कराने की व्यवस्था किये जाने के संबंध में।

4. श्री नारायण पाल

प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाए:-

"किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित का कोई उल्लेख नहीं किया है :-

1. राज्य में मदरसों और संस्कृत महाविद्यालय को अनुदान,
2. थारू बुक्सा बंगाली परिवार के बच्चों को छात्रवृति एवं शिक्षा,
3. जनपद उधमसिंह नगर के ब्लाक सितारगंज में रायसिख और अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति वर्षो से डैंम किनारे बसे परिवारों को पट्टे जारी करने के सम्बन्ध में,
4. जनपद उधमसिंह नगर के ब्लाक सितारगंज में पॉलिटेक्निक और आई0टी0आई0 की स्थापना,
5. जनपद उधमसिंह नगर के ब्लाक सितारगंज में स्थापित हो रहे सिडकुल में स्थनीय लोगों को 70 प्रतिशत सेवा योजन कार्यालय के माध्यम से प्रत्यक्ष रोजगार दिये जाने,
6. जनपद उधमसिंह नगर के ब्लाक सितारगंज में महाविद्यालय की स्थापना,
7. जनपद उधमसिंह नगर के ब्लाक सितारगंज में विशेष संगठक योजना (स्पेशल कम्पोनेट प्लान) के वार्षिक बजट में कमी,

4. प्रदेश के बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता दिये जाने,
5. प्राइमरी विद्यालयों, माध्यमिक विद्यालयों तथा महाविद्यालयों में प्रधानाचार्य, प्रवक्ता, अध्यापकों के रिक्त पड़े पदों को भरे जाने,
6. जनपद टिहरी गढ़वाल में घुमेटी धार, धमातोली, दोणी, अखोड़ी में मिनी स्टेडियम की स्थापना करने,
7. आपदा प्रबंधन विभाग को सुव्यवस्थित कर दैवीय आपदाओं से निपटने के लिए विशेष कार्य योजना बनाये जाने,
8. जनपद टिहरी गढ़वाल के गोना, मेंड़, मरवाड़ी, निवाल गांव, अगुण्डा कोटी, पिन्स्वाड़, कोट, बूढ़ाकेदार में दैवीय आपदा से प्रभावितों का पुनर्वास करने तथा घनसाली तहसील की दैवीय आपदा से क्षतिग्रस्त नहरों का पुनर्निमाण करने,
9. जनपद टिहरी गढ़वाल के घनसाली तहसील में मगरौ, रगड़ी, केपार्स, निवाल गांव, तलियावन हाईस्कूलों का इण्टरमीडिएट तक उच्चीकरण करने तथा जूनियर हाईस्कूल कठैती, दोणी, पाख, पिन्स्वाड़, गंगी, फलेण्डा, जसपुर, गनवाड़ी का हाईस्कूल तक उच्चीकरण करने,
10. जनपद टिहरी गढ़वाल के सभी परिवारों को टिहरी बांध से मुफ्त बिजली दिये जाने,
11. जनपद टिहरी गढ़वाल के जगदीगाड़-कठूड, हल्कावाहन मार्ग को मोटर मार्ग में तबदील करने, सिंदूल पटूड़गांव, लाटा-सिताकोट, छतियारा भजेती बैण्ड विनक खाल तिनगढ़ मोटर मार्ग का डामरीकरण करने,
12. शिक्षा बन्धु, शिक्षा मित्र, शिक्षा आचार्यों को नियमित किये जाने,
13. जनपद टिहरी गढ़वाल के अन्तर्गत पर्यटन विकास हेतु जनपद टिहरी गढ़वाल के धार्मिक पर्यटक स्थानों-बूढ़ाकेदार, घुत्तू, मासरताल, सहस्त्रताल, मज्याड़ताल, लम्बताल, लिंगताल, मासूताल, जरालताल, क्यारखी बुग्याल, कुश कल्याण, पंवाली कांठा, झल्ला, खतलिंग, गंगी, पिन्स्वाड़, विशेष पर्वत, जगदीशिला, रतकोट, वालासुन्दरी, वेलेश्वर, दुधारी देवी, ज्वालामुखी, राजराजेश्वरी, हटकुणी, तिनगढ़, रानीगढ़, माणिकनाथ,

28. जनपद टिहरी गढ़वाल के घुतू पंजा से पंवाली थांण, पंगढुंग से विनयखाल, वडियार से रतकोट, तलियावन से आर्स-लोदस की यातायात व्यवस्था हेतु रजुमार्ग की स्वीकृति दिये जाने,

29. जनपद टिहरी गढ़वाल के बूढ़ाकेदार, घोपड़धार में चीड़ की पत्तियों पर आधारित उद्योग खोले जाने,

30. जनपद टिहरी गढ़वाल के विनयखाल, बूढ़ाकेदार, जगदीशिला में स्टेट बैंक की शाखा खोले जाने,

31. प्रदेश के सभी मान्यता प्राप्त अशासकीय विद्यालयों को अनुदान सूची में लिये जाने, तथा

32. जनपद टिहरी गढ़वाल के अन्तर्गत धनसाली तहसील के भलेटी खवाड़ा में हवाई पट्टी की स्वीकृति हेतु आवश्यक कार्यवाही किये जाने के संबंध में।

6. चौधरी यशवीर सिंह

प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाए:-

"किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित का कोई उल्लेख नहीं किया है :-

1. जनपद हरिद्वार में पाले से आम व अन्य फलों व गन्ने की फसल नष्ट होने पर मुआवजे के संबंध में,
2. उद्योगों में ठेकेदारी प्रथा समाप्त कर स्थानीय लोगों को रोजगार देने के संबंध में,
3. मजदूर की दैनिक मजदूरी बढ़ाने के संबंध में,
4. पहाड़ों पर छोटे उद्योगों पर देय सबसिडी/सेल टैक्स/बिजली की दरों में मैदानों की अपेक्षा छूट देने के संबंध में,
5. जमीनों पर 'सर्किल रेट' बढ़ाये जाने के पश्चात कम करने के निर्णय के बाद भी हरिद्वार जिले में 'सर्किल रेट' न घटाये जाने के संबंध में,
6. गरीब किसान व गरीब दलितों के घरों पर निजी कनेक्शनों पर लगे अधिभार को घटाने के संबंध में,

7. प्रदेश में गरीबी रेखा से नीचे जीवन-यापन करने वाले छूटे हुए परिवारों का पुनः सर्वे किये जाने,

8. प्रदेश में गरीब भूमिहीन परिवारों को आवासीय पट्टा देने,

9. ऊधमसिंह नगर में जलाशयों के किनारे खेती करने वाले छोटे-छोटे किसानों को भूमिधरी अधिकार दिये जाने,

10. प्रदेश में सिडकुल क्षेत्र में स्थानीय बेरोजगारों को 70 प्रतिशत आरक्षण देने संबंधी शासनादेश के अनुपालन किये जाने,

11. प्रदेश में रोजमर्रा के उपयोग की सामग्री सरसों का तेल, रिफाइंड, दाल आदि के मूल्य वृद्धि को रोकने,

12. बांग्ला भाषी विद्यार्थियों को बांग्ला भाषा में ही पढ़ाई किये जाने के संबंध में,

13. जनपद ऊधमसिंह नगर में नगर पालिका दिनेशपुर में एल0पी0जी0 गैस बिक्री केन्द्र स्थापित किये जाने, तथा

14. जनपद ऊधमसिंह नगर में हरिपुरा जलाशय व गूलरभोज (बौर) जलाशयों को पर्यटन केन्द्र के रुप में विकसित करने के संबंध में।

8. हाजी तसलीम अहमद

प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाए:-

"किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित का कोई उल्लेख नहीं किया है :-

1. जनपद हरिद्वार में ठंड व पाले के असर से हुए फसलों व फलदार वृक्षों के नुकसान को दैवीय आपदा घोषित करने के संबंध में,

2. पाले के कारण गन्ने के बीज नष्ट हो जाने के कारण किसानों को निःशुल्क गन्ने का बीज उपलब्ध कराये जाने के संबंध में,

3. हरिद्वार जनपद के विधान सभा क्षेत्र लालढ़ांग के ग्राम सुल्तानपुर कुन्हारी में 'फायर स्टेशन' खोले जाने के संबंध में,

2. हरिद्वार जनपद में रतमऊ नदी पर ग्राम दादु बांस में पुल निर्माण के संबंध में,
3. जनपद हरिद्वार में सोलानी नदी पर ग्राम रणसुरा के सामने पुल निर्माण के संबंध में,
4. जनपद हरिद्वार में समुचित विद्युतीकरण कराये जाने के संबंध में,
5. जनपद हरिद्वार को विशेष पेयजल योजना दिये जाने के संबंध में,
6. प्रदेश में स्थापित फैक्ट्रियों/उद्योगों में 70 प्रतिशत स्थानीय बेरोजगारों को स्थाई रोजगार दिलवाये जाने के संबंध में,
7. भ्रष्टाचार निरोधक उपायों के संबंध में,
8. जनपद हरिद्वार में नदियों के समीप कृषि भूमि के कटाव को रोकने के संबंध में,
9. अनुसूचित जाति/जनजाति के लिये किसी योजना के संबंध में,
10. जनपद हरिद्वार में जलस्तर गिरने के कारण सिंचाई हेतु सरकारी नलकूप (ट्यूबवैल) लगवाये जाने के संबंध में, तथा
11. राज्य में बेरोजगारी दूर करने के लिये ठोस उपाय किये जाने के संबंध में।

10. श्री यशपाल आर्य

प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाए:-

"किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित का कोई उल्लेख नहीं किया है :-

1. राज्य में फूलों की खेती एवं फल उत्पादन को प्रोत्साहित किये जाने के सम्बन्ध में,
2. राज्य में पॉलिटैक्निक कालेजों एवं आई0टी0आई0 में नए ट्रेड खोलने एवं रिक्त पदों पर प्रशिक्षकों की नियुक्ति किये जाने के सम्बन्ध मे,
3. राज्य में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के रिक्त पदों को विशिष्ट भर्ती अभियान के तहत भरे जाने के सम्बन्ध में,

11. श्री हरिदास

प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाए:-

"किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित का कोई उल्लेख नहीं किया है :-

1. जनपद हरिद्वार में पाला वृष्टि से किसानों को फसल के नुकसान का मुआवजा दिये जाने,
2. जनपद हरिद्वार में बी0पी0एल0 सूची में छूटे गरीब परिवारों का पुनः सर्वे कराकर सम्मिलित किये जाने,
3. जनपद हरिद्वार में पिरान कलियर शरीफ के वार्षिक मेले को कुम्भ मेले की तरह सरकारी बजट से आयोजित कराये जाने,
4. जनपद देहरादून में जौनसार बाबर में मुस्लिम समुदाय को अन्य लोगों की तरह अनुसूचित जनजाति का प्रमाण पत्र दिये जाने,
5. जनपद हरिद्वार के विधान सभा क्षेत्र लण्ढ़ौरा में राजकीय डिग्री कालेज खोले जाने,
6. घरेलू विद्युत उपभोक्ताओं के बिलों पर सरचार्ज माफ कराये जाने,
7. जनपद हरिद्वार के विधान सभा क्षेत्र लण्ढ़ौरा में राजकीय आई0टी0आई खोले जाने,
8. राज्य-योजना के अन्तर्गत सड़कों का निर्माण कराये जाने,
9. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़ी जाति का प्रमाण पत्र बनाये जाने की प्रक्रिया का सरलीकरण करने,
10. जनपद हरिद्वार के लण्ढ़ौरा क्षेत्र में लक्सर से मंगलौर मार्ग को बनाये जाने,
11. प्रदेश में दलित व मजलूमों के उत्पीड़न को रोकने के उपाये,
12. जनपद हरिद्वार में शिक्षित बेरोजगार व्यक्तियों को रोजगार दिये जाने,
13. स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान की धनराशि का सदुपयोग किये जाने,